न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 138 / 2025
किस्म :— प्रार्थना—पत्र
दायर दिनांक : 10.09.2025

निर्णय दिनांक : 27.11.2025

उनवान

1. किशनलाल पिता भैरूलाल सेन जाति सेन
2. जमनालाल पिता भैरूलाल सेन जाति सेन
निवासीयान रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता चुन्नीलाल जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. डाली पिता हिरालाल पत्नि हंसराज जाति रेगर निवासी रेलमगरा हाल निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. मोहनी बेवा नारायण लाल जाति रेगर
4. सोहन लाल पिता नारायण लाल जाति रेगर
5. रोशन लाल पिता नारायण लाल जाति रेगर
6. गेहरी लाल पिता नारायण लाल जाति रेगर
7. ओमप्रकाश पिता नारायण लाल जाति रेगर
8. तुलसीराम पिता नारायणलाल जाति रेगर
सभी निवासीयान रेगर मौहल्ला तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
9. मीना पिता शंकरलाल पत्नि किशनलाल जाति रेगर निवासी रेलमगरा हाल निवासी कांकरवा तहसील मावली जिला उदयपुर
10. मोटाराम पिता गोकल जाति रेगर निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
11. रेखा पिता शंकरलाल पत्नि कैलाश चन्द्र जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
12. राधा पिता हिरालाल पत्नि भैरूलाल जाति रेगर निवासी रेलमगरा हाल निवासी पोटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
13. लालुराम पिता गोकल जाति रेगर
14. सम्पत पिता शंकरलाल जाति रेगर
15. सुरेश पिता शंकरलाल जाति रेगर
16. सुशीला पत्नि शंकरलाल जाति रेगर
17. सीमा पिता शंकरलाल पत्नि सम्पत लाल जाति रेगर
18. सांहनलाल पिता हिरालाल जाति रेगर
सभी निवासीयान रेगर मौहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
19. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक रेलमगरा

.....विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1—2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता मुकेश शर्मा
विपक्षीगण संख्या 01,02
11, 14, 15, 16, 17 की ओर से :— अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र खटीक
विपक्षीगण संख्या 03, 04, 10, 12 से
लगायत 20 :— एकपक्षीय

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 51 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में स्थित आराजी संख्या 822, 3089, 4441/2821, 4443/2969, 4445/2964, 4447/2815, 4448/2963 कुल खसरा 07 कुल रकबा 4857 है0 भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 3089 रकबा 0.2104 के पूर्व दिशा में व उत्तर दिशा में विपक्षीगण की आराजी सं. 3090 व 3088 स्थित हैं। किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीगण की भुमि क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकिया दे रहे है। जबकि विपक्षीगण की आराजी में आने जाने के लिये आराजी सं. 3099 स्थित हैं। यह कि विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भुमि के उपयोग– उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप कारित करने तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी सं. 3089 के पूर्वी व उत्तरी दिशा की तरफ खम्भे व झाली लगाने पर तोड देते व कहते कि हम हमारे आराजी सं. 3088 में आने जाने के लिये प्रार्थीगण की आराजी से ही आयेगे व जायेंगे तब प्रार्थीगण ने कहा कि तुम्हारी आराजी आम सडक से सटमा हैं तथा आपकी संयुक्त आराजी स्थित हैं किन्तु विपक्षीगण सभी हम सलाह होकर प्रार्थीगण की आराजी सं 3089 में से होकर आने जाने हेतु आमादा हैं। जिस हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यह कि विपक्षीगण सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिसका नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से प्राथीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु आमादा हैं ताकि प्रार्थीगण उनके डर से अपनी कृषि भूमि का भाग उनके पक्ष में छोड दे। विपक्षीगण झगडालु प्रवृति के हैं। पहले भी विपक्षी सं. 2 के द्वारा प्रार्थीगण के पत्थर के खम्भे व झाली को तोडकर क्षति कारित की जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी सं. 2 के द्वारा जरिये प्रकरण सं. 210/2025 पुलिस थाना रेलमगरा में प्रकरण दर्ज कराया जिससे सभी विपक्षीगण जो कि विपक्षी सं. 2 के एक ही परिवार व समाज के हैं जिससे प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं। एवं प्रार्थीगण की आराजी पर आक्रमण करना चाह रहे है। यह कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी स. 3089 पर अतिक्रमण नही करने बाबत कहा गया किन्तु उसके बाद भी विपक्षीगण लगातार प्रार्थीगण की कृषि भूमियों पर अतिकगण करने की धगकिया दे रहे हैं जिससे उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।यह कि विपक्षीगण की जमाबन्दी में नारायण पिता देवा का नाम अंकित हैं किन्तु उनकी मृत्यु हो चुकी हैं जिससे उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया हैं उसी प्रकार नानी बाई पत्नि हिरालाल व रामी देवी पत्नि गोकल की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का हेतुक दिनांक 03.09.2025 को विपक्षीगण को प्रार्थीगण की कृषि भूमि में प्रविष्ट नहीं होने व अतिक्रमण नहीं करने बाबत् कहा गया किन्तु विपक्षीगण उसके उपरान्त भी विपक्षीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण व प्रविष्ट होने की धमकियां दे रहे है जिससे प्रार्थीगण का वाद हेतुक दिनांक 03.09.2025 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक, अधिकार नहीं है उनकी आराजीयात में आने–जाने के लिये आम सडक से आ–जा सकते हैं उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण वादीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण व प्रविष्ट होने की धमकीयां दे रहे हैं। जिससे सुविधा संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जाति हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मुल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जावें कि विपक्षीगण ग्राम रेलमगरा आराजी संख्या 3089 किसी प्रकार की प्रविष्ट अथवा अतिक्रमण न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01, 02, 11, 14, 15, 16, 17 की ओर से अधिवक्ता प्रकाश चन्द्र खटीक ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 तीन का विवरण गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि विपक्षीगण द्वारा कोई प्रार्थी की आराजी संख्या 3088 में लगे झाली व खम्भे को नही तोडा है न ही किसी प्रकार की कोई क्षति प्रार्थीगण की आराजियात की है बल्कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 3088 में आने जाने के लिए प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3089 के पश्चमी कोने से आते जाते है अर्थात विपक्षीगण की आराजी संख्या 3099 जो की किस्म रास्ता है इसमें से होकर आराजी संख्या 3100, 3101 में प्रवेश कर पूर्व दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता मौजूद है उसके पश्चात आराजी संख्या 3101 के पूर्वी कोने से होते हुए आराजी संख्या 3089 के पश्चिम दिशा की तरफ प्रवेश करते हुए आराजी संख्या 3088 में आते जाते है इसलिए विपक्षीगण के आराजी 3088 में आने जाने

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हु उक्त रास्ता सदियो पुराना मौजूद है। लेकिन मौके पर आराजी संख्या 3089 पर लकड़ी की फली लगी हुई
। लेकिन प्रार्थीगण उक्त रास्ते की जमीन पर विपक्षीगण को आने जाने नही दे रहे है इस कारण से उक्त वाद
स्तुत किया है । यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है विपक्षीगण द्वारा
ई प्रार्थीगण की जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3088 में
षि कार्य करने हेतु हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि को किसी प्रकार
ई कोई हस्तक्षेप अतिक्रमण नही किया जा रहा है प्रार्थीगण जमीन नाम पर होंने से आने जाने विपक्षीगण को
ही दे रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 दस का विवरण गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि
ार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मिथ्या तथ्यों पर आधारित है जिससे प्रार्थीगण को सफलता
लने की कोई समभावना नही है । यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 ग्यारह का विवरण गलत होकर
स्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा कोई धमकिया नही दी जा रही है बल्कि विपक्षीगण को
पनी आराजियात के उपयोग उपभोग से वंचित किया जा रहा है प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही
नता है इस कारण कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है । प्रार्थीगण द्वारा विधि
रुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण ने अपने दावे में यह अनुतोष चाहा गया कि आराजी
ख्या 3089 में किसी प्रकार से प्रविष्ट नही करे इस तरह का अनुतोष अंतर्गत धारा 188 रा.का.अ. के तहत नही
या जा सकता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से
र्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन
किया गया। राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी
म्बर 3089 रकबा 0.2104 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष मूल वाद
निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ
लग्न रहें।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

र्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)